

विविध बैंक प्रकरण संख्या 141/2019 (RCMS 2019/00255) ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा कार्यालय फतूही श्रीगंगानगर, राजस्थान - 335001 बनाम 1. मैसर्स क्रिएशन कम्प्यूटर्स निवासी 4/3 सुखाडिया शॉपिंग सेन्टर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर-प्रो. उज्ज्वल अग्रवाल पुत्र देवीदयाल अग्रवाल निवासी मकान नं. 4/3, चांद हेयर ड्रेसर के पास, सुखाडिया शॉपिंग सेन्टर, श्रीगंगानगर



26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत कार्यकर्ता उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के प्राधिकृत कार्यकर्ता का कथन है कि प्रार्थी बैंक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2019 को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मै. क्रिएशन कम्प्यूटर्स को ऋण सुविधा के रूप में 4.00 लाख रुपये (अखरे रुपये चार लाख मात्र) का ऋण दिनांक 17.12.2018 को स्वीकृत किया गया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी उज्जवल अग्रवाल की चल सम्पत्ति All the part and parcel of Laser Engraving Machine Serial No. 1811C-2877 Assemble No.- 1229. All the Stock Printing Paper, Fiber Sheet & Number Plates and accessories lying at Creation Computers. को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 31.03.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिये गए। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 30.06.2019 को 4,04,045/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 26.07.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने को जारी किये गये। अप्रार्थी मै. क्रिएशन कम्प्यूटर्स - प्रो. उज्जवल अग्रवाल को

जिला मैजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के नोटिस जारी करने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रति भी पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्त हो चुके है इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इसलिए अप्रार्थी मै. क्रिएशन कम्प्यूटर्स-प्रो. उज्जवल अग्रवाल द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई चल सम्पत्ति All the part and parcel of Laser Engraving Machine Serial No. 1811C-2877 Assemble No.- 1229. All the Stock Printing Paper, Fiber Sheet & Number Plates and accessories lying at Creation Computers का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मै. क्रिएशन कम्प्यूटर्स - प्रो. उज्जवल अग्रवाल को दिनांक 17.12.2018 को 4.00 लाख रुपये (अखरे रुपये चार लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी उज्जवल अग्रवाल की चल सम्पत्ति All the part and parcel of Laser Engraving Machine Serial No. 1811C-2877 Assemble No.- 1229. All the Stock Printing Paper, Fiber Sheet & Number Plates and accessories lying at Creation Computers प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 31.03.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 26.07.2019 को रजिस्टर्ड डाक जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस ऑन लाईन ट्रैक कन्साईन्मेंट के अनुसार अप्रार्थी को प्राप्त हो चुका है। जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणी पर उक्त धारा 13(2) के नोटिस तामील हो चुके है।

इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस तामील के बाबजूद भी उनके द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी चल सम्पत्ति All the part and parcel of Laser Engraving Machine Serial No. 1811C-2877 Assemble No.-1229. All the Stock Printing Paper, Fiber Sheet & Number Plates and accessories lying at Creation Computers जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 26.07.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 26.07.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस पर अप्रार्थी मै. क्रिएशन कम्प्यूटर्स – प्रो. उज्जवल अग्रवाल को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक कन्साईन्मेंट की प्रति रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इस प्रकार धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के

अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मै. क्रिएशन कम्प्यूटर्स – प्रो. उज्जवल अग्रवाल की चल सम्पत्ति All the part and parcel of Laser Engraving Machine Serial No. 1811C-2877 Assemble No.- 1229. All the Stock Printing Paper, Fiber Sheet & Number Plates and accessories lying at Creation Computers का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मै. क्रिएशन कम्प्यूटर्स – प्रो. उज्जवल अग्रवाल द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई चल सम्पत्ति All the part and parcel of Laser Engraving Machine Serial No. 1811C-2877 Assemble No.- 1229. All the Stock Printing Paper, Fiber Sheet & Number Plates and accessories lying at Creation Computers का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर